Result Mitra Daily Magazine

EETA

❖ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत–स्विट्जरलैंड के दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का दर्जा देने संबंधी खंड को निलंबित कर दिया है।
- इसके जवाब में भारत ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के साथ उनके DTAA पर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य देशों के साथ फिर से बातचीत करने की जरूरत है।

❖ EFTA :

- यह चार देशों (आइसलैंड लिंकटेस्टीन, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड) का एक समूह है, जो यूरोपीय संघ का भाग नहीं है।
- यह एक अंतर–सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, UK, स्वीडन एवं स्विट्जरलैंड के द्वारा यूरोप में मजबूत आर्थिक सहयोग एवं मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- डेनमार्क एवं UK 1972 में EFTA को छोड़कर यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) से जुड़ गए, जबकि 1985 में पुर्तगाल भी EFTA को छोड़कर EEC में शामिल हो गया।
- EFTA का पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) स्पेन के साथ संपन्न हुआ।
- भारत ने EFTA के चार देशों के साथ 10 मार्च 2024 को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य अगले 15 वर्षों में निवेश (इन देशों से) को 100 बिलियन डॉलर करना है।
- EFTA संयुक्त उद्योगों पर भी विचार कर रहा है, जो भारत को चीन से आयात में विविधता लाने एवं अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे।

❖ भारत पर प्रभाव :

- EFTA से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है लेकिन भारत को सेवा क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, जिससे भारत का सेवा क्षेत्र ज्यादा मजबूती प्राप्त कर सकता है।

- EFTA से भले ही 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता संदिग्ध है, लेकिन इससे भारत में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने एवं रोजगार पैदा करने में मदद मिल सकती है।
- FTA के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब लक्ष्य–उन्मुक्त निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रतिबद्धताएं दोहराई जा रही है।

❖ EFTA के प्रमुख प्रावधान :

- 100 बिलियन डॉलर का निवेश अगले 15 वर्षों में,
- अगले 15 वर्षों में 10 लाख रोजगार सृजन,
- फार्मा, रसायन उत्पाद, खनिज सहित अन्य उत्पादों पर टैरिफ में कटौती।

❖ टैरिफ में छूट : भारतीय दृष्टिकोण

- स्विट्जरलैंड, जो EFTA में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ने 1 जनवरी 2024 से सभी देशों के लिए सभी प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करने की घोषणा की।
- स्विट्जरलैंड का यह फैसला भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि 2023 में स्विट्जरलैंड को किए गए कुल निर्यात में औद्योगिक वस्तुओं का योगदान 98% है।
- भारत के सामान को किसी भी टैरिफ उन्मूलन के बावजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

❖ MFN Status :

- "सबसे पसंदीदा राष्ट्र" (MFN) का सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन के गैर–भेदभाव के सिद्धांत का उपचार है।
- विश्व व्यापार संगठन के सभी 164 सदस्य देश अन्य देशों के साथ समान व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे परस्पर न्यूनतम व्यापार बाधाओं के मदद से लाभान्वित हो सके।
- इसके कुछ अपवाद है –

i. जब द्विपक्षी समझौते हों,
ii. जब कोई देश विकासशील देशों को अपनी बाजार में विशेष पहुंच प्रदान करते हैं।

❖ सुप्रीम कोर्ट का फैसला :

- विशेष मत यह है कि स्विट्जरलैंड ने MFN का दर्जा वापस लेने के लिए वेवे–मुख्यालय नेस्ले (Nestle)से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) के 2023 के फैसले का हवाला दिया।

- SC का यह फैसला मूल्यांकन अधिकारी (अंतरराष्ट्रीय कर) US नेस्ले एसए मामले में आया, जिसमें इस तथ्य की जांच की गई कि भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून एवं घरेलू कानून के मद्देनजर भारत के कर–संधियों के तहत MFN खंड को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी अधिसूचना जरूरी है अथवा नहीं।
- SC ने यह फैसला दिया कि इसके लिए सरकारी अधिसूचना आवश्यक है क्योंकि ऐसे खंड आयकर एक्ट के प्रावधानों को प्रभावित करते हैं।
- SC ने कहा कि MFN उस स्थिति में स्वचालित रूप से सक्रिय नहीं होता है जब कोई देश आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) में शामिल होता है और भारत ने OECD में शामिल होने से पहले ही उस देश के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए हों।